न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 46/2021

दायर दिनांक – 15.09.2021

निर्णय दिनांक – 22.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021/105

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री मगनीराम पुत्र श्री केसाराम जाति माली निवासी बांसेली (डेर) तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस. के. चौधरी अधि0, प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी के खरीदशुदा नामान्तकरण अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड खाता सं. 554 में प्रार्थी के नाम इन्द्राज दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में अवस्थित आराजी ... के वर्किंग खसरा नं0 1885 मिन रकबा 22–10–00 बीघा में से 1/2 हिस्सा में से ... 88.88 वर्गगज को प्रार्थी व प्रार्थी के भाई नेमीचन्द पुत्र केसाराम ने ... पूसालाल सैन ... खुद एवं बहेसियत मुख्तयारनामाआम सुमित शर्मा पुत्र प्रेमदत्त शर्मा निवासी तबीजी से खरीदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:46 IST
Reason: Self Attested

22.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

जिसका नामान्तरकरण सं. 897 दिनांक 12.05.2007 द्वारा इन्द्राज हुआ तत्पश्चात प्रार्थी ने उक्त खसरा नं. का रकबा 88.88 वर्गगज में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थी ने अपने भाई नेमीचन्द से खरीदा जिसका नामान्तकरण सं. 1058 दिनांक 18.02.2008 के द्वारा इन्द्राज हुआ तथा प्रार्थी ने उक्त खसरा नं. में से खीयाराम पुत्र भैराराम गुर्जर के हिस्से को भी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद किया जिसका नामान्तरकरण सं. 1076 दिनांक 18.02.2008 के द्वारा वर्किंग जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया। किन्तु भू–बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान बने वर्तमान खाता सं. 554 में प्रार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज न होकर पूर्व विक्रेता के नाम खातेदारी इन्द्राज हो गयी।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2205 दिनांक 01.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **मगनीराम व नेमीचन्द पुत्र केसाराम जाति माली ने खसरा नम्बर 1885 मि. में से नामान्तरकरण संख्या 897 दिनांक 21.05.2007 जरिये बेचान 88 वर्गगज क्रय की है। तत्पश्चात उक्त 88 वर्गगज में नामान्तरकरण संख्या 1076 दिनांक 18.02.08 जरिये क्रय से नेमीचन्द का हिस्सा 44 वर्गगज भी मगनीराम पुत्र केसाराम जाति माली ने क्रय कर लिया है। उपरोक्त 88 वर्गगज हिस्सा जरिये विक्रय के नामान्तरकरण से महेन्द्रकुमार पुत्र पूसालाल जाति सैन से क्रय किया गया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्रकुमार पुत्र पूसालाल जाति सैन सा. तबीजी का 1175/7999 हिस्सा वर्किंग के नवीन खसरा नम्बरान 1771 रकबा 0.01, 1774 रकबा 0.01, 1775 रकबा 1.4298, 3115/1772 रकबा 0.15 किता 4 रकबा 1.5998 में दर्ज है। नामान्तरकरण संख्यार 1076 दिनांक 18.02.08 जरिये विक्रय खीयाराम पुत्र पुत्र भैराराम जाति गुर्जर से मगनीराम पुत्र केसाराम ने 44 वर्गगज भूमि क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण एवं वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खींयाराम का हिस्सा 10/7999 दर्ज है जो कि 0.0020 वर्ग मीटर ही बनता है। इस प्रकार खींयाराम से क्रय हिस्सा 44 वर्ग गज था परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में 23.91 गज ही शेष दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी मगनीराम ने क्रमश 88 वर्गगज व 44 वर्गगज भूमि खसरा 1885 मि. में से क्रमशः महेन्द्र कुमार पुत्र पूसालाल सैन एवं खींयाराम पुत्र भैराराम जाति गुर्जर से क्रय की थी। जिसका वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद है। परन्तु वर्किंग के वाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आधार जमाबन्दी बनाते समय उक्त नामान्तरकरणों का अंकन नहीं किया गया। अतः विक्रेताओं का पक्ष सुनते हुए प्रार्थी खातेदारान के वर्किंग नामान्तरकरणों का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना उचित है।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 16:46:46 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र/सहमति पत्र, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी के खरीदशुदा नामान्तकरण अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड खाता सं. 554 में प्रार्थी के नाम इन्द्राज दुरूस्त करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी के खरीदशुदा नामान्तरकरण सं. 897 दिनांक 12.05.2007, 1058 दिनांक 18.02.2008 तथा 1076 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड खाता सं. 554 में प्रार्थी के नाम (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:46 IST
Reason: SelfAttested